रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

सेवा में,

प्रबन्धक,
अमर सिंह भाटी खेल संस्थान उ०मा०वि० खरखौंदा,
अमरोहा।

पत्रांक: मा०शि०प०/मान्यता/ 163-67 दिनांक: 06-04-2016

विषय: सीधे हाईस्कूल नवीन (कक्षा 09 से 10 तक) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1967 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था **अमर सिंह भाटी खेल संस्थान उ०मा०वि० खरखौंदा, अमरोहा** को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2018 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा-9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

[illegible]

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धतीकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतन्त्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा अन्यथा विद्यालय की प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर दी जायेगी।

(ग) विद्यालय में छात्रवृत्ति की व्यवस्था मान्य एवं संचालित नहीं होगी।

(घ) यह मान्यता उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या-25/2008 पंचू आजमी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध एक अन्य रिट अपील में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2012 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में दाखिल अपील-विलेखन अन्तरोदेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

टिप्पणी:- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

[illegible] / मान्यता /

दिनांक :

अनिवार्यतः निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा।
2- उपजिला मजिस्ट्रेट, पुनरासपट।
3- उपनिदेशक परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।
4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली